न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 175/2018

अनवान :

1. राजकुमार पुत्र दौलाराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम

1. दौलाराम पुत्र मुन्शीराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
2. विनोद देवी पुत्री दौलाराम पत्नी राजकुमार जाति जाट निवासी बगला तहसील व जिला हिसार हरियाणा।
3. दयावन्ती पुत्री दौलाराम पत्नी जयराम जाति जाट निवासी बगला तहसील व जिला हिसार हरियाणा।
4. सुनीता पुत्री दौलाराम पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी भीमवाला तहसील व जिला फतेहाबाद हरियाणा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज.काश.अधि.

उपस्थिति : वकील श्री कपूरचन्द शर्मा : वादीगण

वकील श्री सुरेन्द्र बेनीवाल : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 11.9.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि चक 7 एम.आर.एन. के जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 42/39 के मु.न. 13 के किला नं. 21, 22 व मु.न. 14 के किला नं. 25, मु.न. 25 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 व मु.न. 26 के किला नं. 1, 2, 3/1, 8/1, 9 ता 11, 12/1, 19/1, 20, 21, 22/1, मु.न. 39 के किला नं. 11/3, 12, 13, 14/1, 17/1, 18, 19, 20/2, 21/1, 22, 23, 24/1 इस खाता की कुल 6.944 हैक्टर, जिसमें नहरी 6.840 हैक्टर, रास्ता 0.104 हैक्टर भूमि जो दौलाराम पुत्र मुन्शीराम कौम जाट निवासी महराना के नाम इस खाता में दर्ज है जो वादभूमि है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद है।

अर्जीदावा की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है उसे उक्त कृषि भूमि वादी के दादा मुन्शीराम वल्द लेखराम से प्राप्त हुई है। इस प्रकार वादभूमि वादी की दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। कानूनन वादभूमि के वादी व प्रतिवादिया संख्या 2 ता 4 जन्म से ही प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला हनुमानगढ़)

वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है प्रतिवादिया संख्या 2 से 4 वादी की सगी बहने है। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 के वादी व प्रतिवादिया सं. 2 से 4 कुल 4 संतान है इसके अलावा और कोई संतान नही है। वादभूमि की बाबत वादी व प्रतिवादिया संख्या 2 से 4 के मध्य पारिवारिक समझौता संयुक्त हिन्दु परिवार में सुख शांति स्थापित करने के लिये मार्च 2018 में होली के दिन हो गया था। जिसमें तय किया गया की कुल वादभूमि प्रतिवादिया संख्या 2 से 4 ने वादभूमि जो अपने पिता के जीवनकाल में मिलने वाला 3/5 हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क कर दिया था, तथा यह तय किया गया था कि कुल वादभूमि में वादी 4/5 हिस्सा और प्रतिवादी सं. 1 का 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है तथा वादभूमि में प्रतिवादिया सं. 2 से 4 को कोई हक हिस्सा नही है। यही बिनाय दावा है।

वादभूमि में वादी ने अपने हक अधिकारों की घोषणा के लिये उक्त दावा पेश किया है। वादीगण ने प्रतिवादी सख्या 01 को वादभूमि में वादी के खातेदारी अधिकारों की धोषणा करवाने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया व बाद पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु रखी गयी।

साक्ष्य वादी में राजकुमार पुत्र दौलाराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा के बयान करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी चक 7 एम.आर.एन. सम्वत 2073—76 प्रदर्श 1 जो पांच पृष्ठ में है, जमाबंदी 2038 भू प्रबंध विभाग प्रदर्श 2, जो चौदह प्रतियो में है, असल वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3, प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली एवं रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मोजा चक 7 एम.आर.एन. के जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 42/39 के मु.न. 13 के किला नं. 21, 22 व मु.न. 14 के किला नं. 25, मु.न. 25 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 व मु.न. 26 के किला नं. 1, 2, 3/1, 8/1, 9 ता 11, 12/1, 19/1, 20, 21, 22/1, मु.न. 39 के किला नं. 11/3, 12, 13, 14/1, 17/1, 18, 19, 20/2, 21/1, 22, 23, 24/1 इस खाता की कुल 6.944 हैक्टर, जिसमें नहरी 6.840 हैक्टर, रास्ता 0.104 हैक्टर भूमि जो दौलाराम पुत्र मुन्शीराम कौम जाट निवासी महराना के नाम इस खाता में दर्ज भूमि में वादी 4/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 को 1/5 हिस्सा के अनुसार काश्तकार घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया था।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एव राजीनामा के आधार पर वाद वादी साबित होने पर डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 7 एम.आर.एन. के जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 42/39 के मु.न. 13 के किला नं. 21, 22 व मु.न. 14 के किला नं. 25, मु.न. 25 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 व मु.न. 26

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

किला नं. 1, 2, 3/1, 8/1, 9 ता 11, 12/1, 19/1, 20, 21, 22/1, मु.न. 39 किला नं. 11/3, 12, 13, 14/1, 17/1, 18, 19, 20/2, 21/1, 22, 23, 24/1 स खाता की कुल 6.944 हैक्टर, जिसमें नहरी 6.840 हैक्टर, रास्ता 0.104 हैक्टर भूमि जो दौलाराम पुत्र मुन्शीराम कौम जाट निवासी महराना के नाम दर्ज भूमि में वादी 4/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ने अपना अपना 3/5 हक हिस्सा तर्क कर दिया है दावा में प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के द्वारा हक त्याग किये गये हिस्से के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात उक्त भूमि में वादी को 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 को 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार वाद भूमि के स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् तथा वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...11.9.18..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज०)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ